न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12 / 59 / 2025 रजू दिनांकः 05.05.2025 रजि0 न0 2025 / 98

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री खेमचन्द सोमवंशी, निवासी 2 / 61, स्कीम नं. 10 बी, हाउसिंग बोर्ड, अलवर 301001 (राज0)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 27.05.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते है तो दिनांक 13.05.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ. / प्रथम अपील / 2025 / 883 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 11.03.2025 को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार RTI Online Portal पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Online Application No. 293942386107770 Date 17.03.2025 दर्ज रजिस्टर कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर RTI Online Portal पत्र संख्या 5537339666 दिनांक 21.04.2025 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। एवं विनिश्चय / प्रेषित सूचनानुसार वांछित सूचना गोपनिय प्रकृति की होने, साथ ही मूल रूप में श्रीमान् शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर को अग्रेषित कर दिए जाने के कारण, कार्यायल स्तर पर संधारण के अभाव में अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) व धारा 8(1)(एच) के आलोक में अदेय है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पत्र सं. 5537339666 दिनांक 21.04.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम / 884 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)